झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक–3 / पी०एम०सी० / कार्य / 411 / 2020-25/21-22 प्र.स्वी. / राँची, दिनांक– 25.01.2022

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो०–हिनू , राँची।

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय :– **दुमका जिलान्तर्गत मसलिया एवं रानीश्वर प्रखण्ड के आंशिक भू–भाग में भूमिगत पाईपलाईन के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त मसलिया–रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना हेतु रु० 1204.36848 करोड़ (रुपये एक हजार दो सौ चार करोड़ छत्तीस लाख चौरासी हजार आठ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश स्वीकृत।

2. दुमका जिलान्तर्गत मसलिया एवं रानीश्वर प्रखण्ड के आंशिक भू–भाग में भूमिगत पाईपलाईन के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त मसलिया–रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना हेतु रु० 1204.36848 करोड़ (रुपये एक हजार दो सौ चार करोड़ छत्तीस लाख चौरासी हजार आठ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. मसलिया एवं रानीश्वर प्रखंडान्तर्गत नदी तल से अपेक्षाकृत अधिक ऊँचाई पर अवस्थित कृषि योग्य भूमि में पारम्परिक नहर प्रणाली से सिंचाई संभव नहीं होने तथा इस प्रणाली के निर्माण में कृषि योग्य भूमि का व्यापक भू–अर्जन के मद्देनजर, भूमिगत पाईपलाईन के माध्यम से जल लिफ्ट कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु, मसलिया–रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना परिकल्पित है।

4. दिनांक– 14.12.2020 को माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में संपन्न समीक्षा बैठक में भी उक्त योजना के संभाव्यता की समीक्षा की गयी तथा छः माह के भीतर योजना का प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

उक्त के आलोक में, विहित प्रक्रिया से चयनित परामर्शी के माध्यम से आरम्भिक योजना प्रतिवेदन (PPR) तैयार कराया गया है जिसमें बराज, एप्रोच चैनल, पंप हाउस, पावर सब–स्टेशन, भूमिगत पाईपलाईन, डिलीवरी चैम्बर, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तथा कंट्रोल मेकैनिज्म का प्रावधान किया गया है।

5. अंतर्राज्यीय एकरारनामा के आलोक में जल की उपलब्धता के सन्दर्भ में स्थिति निम्नवत् है:–

i) दिनांक 12 मार्च, 1949 को तदेन बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्य के बीच मयूराक्षी–सिद्धेश्वरी–नूनबील बेसिन हेतु हस्ताक्षरित अंतर्राज्यीय एकरारनामा एवं दिनांक 19

जुलाई, 1978 को हस्ताक्षरित अनुपूरक एकरारनामा के अनुसार पश्चिम बंगाल को स्वनिधि से सिद्धेश्वरी–नूनबील डैम का निर्माण कर 1.6 LAF (197 MCM) जल का उपयोग करना अपेक्षित था एवं शेष उपलब्ध जल तत्कालीन बिहार राज्य हेतु सुरक्षित था। इसके अतिरिक्त मयूराक्षी नदी के दाहिने तरफ रानीश्वर प्रखंड में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पश्चिम बंगाल को 10,000 AF (12.30 MCM) जल की व्यवस्था करनी थी।

ii) बिहार द्वितीय सिंचाई आयोग के अनुसार सिद्धेश्वरी नदी के 870 वर्ग कि० मी० जल ग्रहण क्षेत्र में उपलब्ध वार्षिक सतही जल (Annual Runoff) 348 MCM है, जिसमें से पश्चिम बंगाल के हिस्से का (197.00–12.30) 184.70 MCM जल अक्षुण्ण रखने के पश्चात भी 163.30 MCM जल उपलब्ध है। प्रस्तावित योजना में सिंचाई हेतु आवश्यक जल की मात्रा 61.80 MCM एवं पीक डिस्चार्ज 13.449 क्यूमेक आकलित है।

iii) विगत 72 वर्षों में पश्चिम बंगाल द्वारा एकरारनामा के अनुरूप कोई पहल नहीं करने के फलस्वरूप स्थानीय कृषक आर्थिक बदहाली के शिकार हैं। दिनांक–28.02.2020 को भुवनेश्वर में संपन्न Eastern Zonal Council के 24वें बैठक के कार्यवाही की कंडिका–7 में माननीया मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल द्वारा स्पष्टतः कहा गया है कि उनके द्वारा सिद्धेश्वरी नूनबील डैम का निर्माण नहीं किया जायेगा।

अतएव, जनहित में संदर्भित एकरारनामा के अध्यधीन अंतर्राज्यीय हितों को दृष्टिगत रखते हुए योजना का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

iv) उक्त क्षेत्र में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने का दायित्व पश्चिम बंगाल राज्य का था, परंतु नागरिकों के हित को सर्वोपरि रखते हुए झारखंड सरकार द्वारा एतद् संबंधी सार्थक पहल किया जा रहा है।

6. मसलिया प्रखंड के 13 (तेरह) पंचायत, यथा– मसानजोर, कुंजबोना, नयाडीह, गोलबंधा, धोबनाहरिनबहाल, रांगा, हारोरायडीह, कठालिया, कोलारकेन्दा, आमगाछी, दलाही, कुसुमघाटा एवं हथियापाथर तथा रानीश्वर प्रखंड के चार पंचायत, यथा–बिलकांदी, वृन्दाबनी, गोविंदपुर एवं बांसकुली के नागरिकगण उक्त योजनान्तर्गत सिंचाई सुविधा से लाभान्वित होंगे।

उक्त योजनान्तर्गत आच्छादित क्षेत्र एवं आबादी की विवरणी निम्नवत् है :–

लाभान्वित प्रखंड	पंचायतों की संख्या	ग्रामों की संख्या	कुल आबादी	अनुसूचित जनजाति की आबादी
मसलिया	13	204	94901	55595
रानीश्वर	4	72	26814	12880
कुल	**17**	**276**	**121715**	**68475**

7. योजनान्तर्गत प्रस्तावित खरीफ पटवन क्षेत्र की विवरणी निम्नवत् है :–

क्र०	लाभान्वित प्रखण्ड	कुल आच्छादित क्षेत्र (हे०)	टाँड़ (हे०)	दोन (हे०)	कुल सिंचित क्षेत्र (हे०)
1	मसलिया	24398	11087	5979	17066
2	रानीश्वर	10831	2563	2654	5217
3	**कुल (हे०)**	35229	13650	8633	22283

8. पम्पिंग के लिए जल की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुरगुनी ग्राम के समीप एक बराज् का निर्माण किया जाएगा एवं पम्प मोटर से जल उद्वह कर पाईपलाईन के माध्यम से सिंचित क्षेत्र में चकवार सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा।

9. किसी कालखंड में अधिक वर्षापात के फलस्वरूप खेतों में जल की आवश्यकता सीमित होने की स्थिति में जल पथांतरित (डाईवर्ट) कर निकटवर्ती जलाशयों को भरने का प्रावधान है, जिससे कि मवेशियों एवं अन्य कार्यों के लिए ग्रामीणों को तालाबों के माध्यम से सदैव जल उपलब्ध हो सके।

10. परामर्शी द्वारा आकलित आरंभिक परियोजना लागत राशि रु० 1204,36,84,800.00 (रुपये एक हजार दो सौ चार करोड़ छत्तीस लाख चौरासी हजार आठ सौ) मात्र के प्राक्कलन का मुख्य अभियंता, देवघर के स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त है एवं मदवार विवरणी निम्नवत् है :–

ABSTRACT OF COST		
Sl. No.	Description	Amount (Rs.)
A	**Survey and Investigation**	**9,35,81,945**
B	**land Acquisition & Clearances**	**97,54,28,700**
C	**Civil Works**	
	Murguni Barrage & Barrage Gate	1,07,94,95,039
	Afflux Bund at Murguni	38,54,58,660
	Guide Bund at Murguni	22,23,380
	Intake Well Cum Pump House	12,74,74,145
	Rising Main Pipe Line, staff quarter and surge protection	6,05,92,64,841
	Civil at delivery chamber	6,01,02,810
	Pump House at Intermediate Pumping Station	1,55,56,850
	Distribution System	44,08,30,334
	Sub-Total Amount	**8,17,04,06,059**
D	**Electrical, Electromechanical & Instrumentation**	
	Electromechanical at Intake Well	70,29,68,580
	Electromechanical at Intermediate Pumping Station	25,58,19,833
	SCADA	8,60,00,000
	Switch Yard/ Power sub station	14,30,00,000
	Sub- Total Amount	**1,18,77,88,413**
E	**Cost of Scheme excluding land (A+C+D)**	**9,45,17,76,417**
F	**Operation and Maintenance Cost for 5 Years**	**28,45,50,180**
G	**Cost of Scheme with OM&M excluding land (E+F)**	**9,73,63,26,597**
H	GST @ 12% of G	1,16,83,59,192
I	Labour cess 1% of (G+H)	10,90,46,858
J	Contingency 0.50% of (G+H)	5,45,23,429
K	Capital cost excluding land (G+H+I+J)	11,06,82,56,076
	Total Project Cost (B+K)	12,04,36,84,776
	Say Rs.	**12,04,36,84,800**

11. उक्त योजना का Benefit Cost Ratio (B.C. Ratio) 1.18 आकलित किया गया है।

12. प्रस्तावित योजना का Turnkey के आधार पर क्रियान्वयन हेतु विभागीय Standard Bidding Document (SBD) में अभियंता प्रमुख के अनुमोदन से योजनानुसार अनुकूलन किया जाएगा। तदनुसार निविदा आमंत्रित कर यथाविहित पद्धति से सुयोग्य संवेदक का चयन किया जायेगा जो SBD की कंडिका 1.2 के आलोक में survey, investigation, collection of design data, design and drawing, preparation of detail project report and approval of the above from competent authorities (State Government/ Central Water Commission) for the entire projects and construction of the project according to approved design and drawing of Head works and Distribution system (Complete Project) का कार्य करेंगे एवं योजना पूर्ण होने के पश्चात् पाँच वर्षों तक इसका परिचालन रख–रखाव तथा प्रबंधन भी करेंगे।

13. प्रस्तावित योजना का कार्य 3 (तीन) वर्षों में पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

14. पाईपलाइन बिछाने में 300 mm व्यास तक HDPE पाईप, 1000 mm व्यास तक DI पाईप तथा इसके अधिक व्यास का M.S. पाईप का उपयोग किया जाएगा। गुरुत्व प्रवाह क्षेत्र में Non-Pressure पाईप की आवश्यकता की स्थिति में अपेक्षाकृत अधिक व्यास के समुचित HDPE पाईप का उपयोग किया जा सकेगा।

15. आरंभिक परियोजना प्रतिवेदन में योजनान्तर्गत प्रयुक्त M.S. पाईप 67.30 कि०मी०, DI पाईप 173.60 कि०मी० तथा HDPE पाईप 567.20 कि०मी० का प्रावधान किया गया है। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने के क्रम में संवेदक द्वारा विस्तृत रूपांकण कर वांछित अनुमोदनोपरांत इसका वास्तविक परिमाण निर्धारित किया जाएगा।

16. योजनान्तर्गत समस्त भू–अर्जन एवं मंजूरियाँ प्राप्त करने के क्रम में अधोलिखित शर्तों का अनुपालन अनिवार्य होगा।

(i) पाईपलाइन बिछाने में भूमि अधिग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होगी। 1– 2 मी० गहराई तक भूमिगत पाईपलाइन बिछाने हेतु यथाविहित विधि से **झारखण्ड जल, गैस और ड्रेनेज पाईपलाईन (भूमि में उपयोगकर्त्ता के अधिकारो का अर्जन) अधिनियम, 2018** के तहत मुआवजा का भुगतान कर कार्य सम्पन्न कराया जाएगा, जिसके पश्चात् उक्त भूमि का उपयोग पुनः कृषि कार्य में किया जा सकेगा।

(ii) डूबक्षेत्र, पम्प हाउस, पावर सब स्टेशन, सम्प, डिलीवरी चेम्बर, भवन इत्यादि निर्माण के लिए यथासंभव सरकारी भूमि का उपयोग किया जायेगा एवं अनुपलब्धता की स्थिति में परियोजना के संवेदक द्वारा वांछित भूखण्ड अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति प्राप्त करते हुए भू–अर्जन की कार्रवाई की जाएगी।

स्थायी भू–अधिग्रहण पर भारित व्यय स्थानीय अंचलाधिकारी/भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा आकलित राशि/अधियाचना के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

(iii) पर्यावरणीय एवं अन्य सभी मंजूरियाँ प्राप्त करने का दायित्व भी परियोजना के संवेदक का होगा, जिसके लिए सक्षम प्राधिकार को नियमानुसार भुगतेय राशि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी एवं योजनान्तर्गत भू–अर्जन मद में प्रावधानित राशि से विकलनीय होगा।

(iv) योजना लागत राशि में भू–अर्जन हेतु प्रावधानित राशि से समस्त स्थायी एवं अस्थायी भू–अर्जन के साथ–साथ सक्षम प्राधिकार से अपेक्षित सभी मंजूरियाँ प्राप्त करना भी सन्निहित है। संवेदक द्वारा तत्संबंधी समस्त अभिलेख तैयार कर विभागीय अनुमोदनोपरांत सक्षम प्राधिकार से समन्वयन स्थापित करते हुए निर्धारित अवधि में भू–अर्जन/मंजूरी प्राप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्य हेतु संबद्ध सक्षम प्राधिकार को भुगतेय राशि, उक्त प्रावधानित राशि से विकलनीय होगा एवं अन्य व्यय संवेदक को स्वयं वहन करना होगा।

(v) अंततोगत्वा मदांतर्गत शेष/वांछित अतिरेक राशि संवेदक के एकरारित राशि से सामंजन करते हुए आवश्यकतानुसार वसूली/प्रतिपूर्ति की जाएगी।

17. योजना पूर्ण होने के पश्चात् इसके परिचालन हेतु अधिकतम 28 MW विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता होगी, जिसके लिए ऊर्जा विभाग के समन्वयन से संवेदक द्वारा पावर सब–स्टेशन का निर्माण कियां जाएगा।

18. संवेदक द्वारा पूर्ण योजना विभाग को हस्तांतरण के पश्चात सहभागिता सिंचाई प्रबंधन नियमावली, 2014 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में जल भागीदार संगठन (Water User Association, WUA) निधि से क्रमेण चरणबद्ध तरीके से नियमानुसार विद्युत आपूर्ति सहित अन्य संचालन एवं रखरखाव संबंधी शत प्रतिशत व्यय भारित होगा।

19. योजनांतर्गत प्रयुक्त प्रमुख सामग्रियों की मजबूती एवं टिकाऊपन के मद्देनजर महत्तम गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जल संसाधन विभाग द्वारा सुयोग्य निर्माता/आपूर्तिकर्ता को सूचीबद्ध करते हुए उनसे आपूर्ति लेने का प्रावधान किया जा सकेगा।

20. प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति द्वारा निम्नांकित शर्तों के साथ स्वीकृति दी गयी है:–

i) विभाग आश्वस्त हो ले कि पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो।

ii) पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होने के पश्चात् विभाग द्वारा फेजवार निर्माण कार्य कराया जाय।

21. उक्त के आलोक में, विभाग द्वारा एक तकनीकी समिति का गठन किया गया जिसके द्वारा प्रस्तावित योजना हेतु जल उपलब्धता संबंधी सभी गणनाओं का विस्तृत विश्लेषण कर अध्ययन के उपरांत जल की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

22. फेजवार निर्माण कराए जाने के संबंध में प्राप्त सुझाव के आलोक में विभागीय तकनीकी समिति द्वारा दिये गये मन्तव्य के आधार पर निम्नवत् फेजवार कार्य कराया जायेगा :–

Phase	Sl. No.	Milestones	Milestones to be Achieved (in months)	Cumulative timeline (in months)
Phase-I	1.	Survey, Investigation & preparation of DPR and requisite statutory clearances from competent authorities.	4	4
	2.	Land acquisition, construction of Barrage piers up to HFL & appurtenant structures thereof, Afflux bund and other reservoir structures.	8	12
Phase-II	1.	Commencement of Pump house and other structures and MS Pipe supply, fabrication and lining. [After substantial progress of item no. 2 of Phase-I at least 60%, with the approval of employer]	--	--
	2.	Completion of Barrage with appurtenant structures, completion of Afflux Bund and reservoir structures, structures of Pipeline scheme, Supply of pipes, Laying etc.	12	24
	3.	Completion of scheme in all respect.	11	35
	4.	Trial run	1	36
Phase-III	1.	Post completion Operation, maintenance & management (OM&M) of the project	60	96

23. जल संसाधन विभाग के लिए मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत वर्ष 2021–22 के बजट में नई योजनाओं के लिए बजट शीर्ष 49–S–4701–80–001–63–00–05–45 में रु० 8100.00 लाख एवं बजट शीर्ष 49–S–4701–80–796–63–00–05–45 में रु० 11025.00 लाख का एकमुश्त प्रावधान है।

24. वर्ष 2021–22 में इस योजना पर होने वाला व्यय नई योजना के प्रावधानित उपर्युक्त बजट शीर्ष के अधीन विकलनीय होगा।

    वर्ष 2022–23 एवं आगामी वर्षों में इस योजना पर होनेवाला व्यय चालू योजनाओं के निर्माण कार्य के लिए बजट शीर्ष 49–S–4701–80–789–62–00–05–45, 49–S–4701–80–796–62–00–05–45 एवं 49–S–4701–80–001–64–00–05–45 में प्रावधानित बजट राशि के अधीन विकलनीय होगा।

25. योजना पर व्यय हेतु राशि की निकासी दुमका कोषागार, दुमका से की जाएगी।

26. इस कार्य हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, दुमका होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर होंगे।

27. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।

28. प्रस्तावित कार्यों पर व्यय किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

29. झारखण्ड कोषागार सहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

30. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०–2561 दिनांक–17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।

31. प्रस्ताव पर विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

32. प्रस्ताव पर मंत्री, योजना एवं विकास विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

33. प्रस्ताव पर मंत्री, वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

34. प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 19.01.2022 के मद संख्या– 48 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

35. राज्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

36. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, पो०– हिनू राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

25/01/22

(प्रशांत कुमार)
सचिव
जल संसाधन विभाग,
झारखण्ड, राँची।

पत्रांक–3 / पी०एम०सी० / कार्य / 411 / 2020–25/21-22 प.नि. / राँची, दिनांक– 25.01.2022

प्रतिलिपिः– आंतरिक वित्तीय सलाहाकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु / योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड / वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०:– **यथोक्त।**

25.01.22

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक–3 / पी०एम०सी० / कार्य / 411 / 2020–25/21-22 प.नि. / राँची, दिनांक– 25.01.2022

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, दुमका कोषागार, दुमका, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.01.22

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक–3 / पी०एम०सी० / कार्य / 411 / 2020–25/21-22 प.नि. / राँची, दिनांक– 25.01.2022

प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव जल संसाधन विभाग, झारखण्ड / अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची / अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1, 2 एवं 3, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर / अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, दुमका / कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, दुमका / ई० सुरेश प्रसाद भगत, अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2, जल संसाधन

विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु /वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु / संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.01.22

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक–3/पी०एम०सी०/कार्य/411/2020–25/21-22 प्र.स./ राँची, **दिनांक–** 25.01.2022

प्रतिलिपिः– आयुक्त, संथालपरगना प्रमण्डल, दुमका/ सभी संबंधित उपायुक्त को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

25.01.22

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक–3/पी०एम०सी०/कार्य/411/2020–25/21-22 प्र.स./ राँची, **दिनांक–** 25.01.2022

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्य मंत्री, झारखण्ड/ माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

25.01.22

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु चेक लिस्ट :–

1	कार्य का नाम	दुमका जिलान्तर्गत मसलिया एवं रानीश्वर प्रखण्ड के आंशिक भू–भाग में भूमिगत पाईपलाईन के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त मसलिया–रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना हेतु रु० 1204.36848 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।
2	प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि	1204.36848 करोड़
3	प्रस्तावित विकलनीय बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये (i) 49–S–4701–80–001–63–00–05–45 (ii) 49–S–4701–80–796–63–00–05–45 वित्तीय 2022–23 एवं आगामी वर्षों के लिये (iii) 49–S–4701–80–789–62–00–05–45 (iv) 49–S–4701–80–796–62–00–05–45 (v) 49–S–4701–80–001–64–00–05–45
4	वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये विकलनीय बजट शीर्ष में एकमुस्त प्रावधान (संशोधित)	(i) 49–S–4701–80–001–63–00–05–45 – रू० 100.00 लाख (ii) 49–S–4701–80–796–63–00–05–45– रू० 100.00 लाख
5	विकलनीय बजट शीर्ष में अद्यतन निर्गत आवंटन	शून्य
6	अवशेष बजट उपबंध	(i) 49–S–4701–80–001–63–00–05–45 – रू० 100.00 लाख (ii) 49–S–4701–80–796–63–00–05–45– रू० 100.00 लाख
7	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, दुमका।
8	नियंत्री पदाधिकारी का पदनाम	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर।
9	प्रशासनिक स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार (i) विभागीय सचिव – रू० 5.00 करोड़ तक (ii) विभागीय मंत्री – रू० 5.00 करोड़ से अधिक एवं रू० 15.00 करोड़ तक (iii) विभागीय मंत्री के अनुमोदन के उपरांत राज्य योजना प्राधिकृत समिति की अनुशंसा पर योजना मंत्री – रू० 15.00 करोड़ से अधिक एवं रू० 25.00 करोड़ तक (iv) राज्य मंत्रिपरिषद – रू० 25.00 करोड़ से अधिक	राज्य मंत्रिपरिषद्
10	प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्तावित योजना/कार्य से लाभ	22283 हे० सिंचाई।
11	योजना पूर्ण किये जाने की अवधि (वर्ष)	3 वर्ष ।
12	क्या संलेख/स्वीकृत्यादेश प्रारूप में यथा निर्देशित अवयववार विवरणी अंकित है?	है।
13	भूमि उपलब्धता विवरणी :	Turnkey योजना रहने के कारण लागू नहीं।
14	यदि योजना में भू–अर्जन की आवश्यकता है तो क्या उसका विवरण संलेख/स्वीकृत्यादेश में अंकित किया गया है ?	Turnkey योजना रहने के कारण लागू नहीं।
15	यदि योजना में वन–भूमि अपयोजन की आवश्यकता है तो क्या उसका विवरण संलेख/स्वीकृत्यादेश में अंकित किया गया है?	Turnkey योजना रहने के कारण लागू नहीं।
16	यदि योजना में सरकारी भूमि के हस्तानन्तरण की आवश्यकता है तो क्या उसका विवरण संलेख/स्वीकृत्यादेश में अंकित किया गया है?	Turnkey योजना रहने के कारण लागू नहीं।

संलेख/स्वीकृत्यादेश तैयार करने वाले
पदाधिकारी का हस्ताक्षर